न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./03/17/अजमेर (2017/00184)

विभागीय अपील द्वारा श्री महावीर प्रसाद शर्मा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर दिनांक 29–11–2016

उपस्थितः– श्री महावीर प्रसाद शर्मा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर।

निर्णय

दिनांकः– 31–10–2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर के आदेश दिनांक 29–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 14.5.2015 को एक ज्ञापन जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या एक :–

यह है कि आपके ग्राम पंचायत चापानेरी में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पंचायत समिति भिनाय के पद पर कार्यरत रहने के दौरान आप द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान अकाल राहत सम्वत् 2062 मद से स्वीकृत कार्य आंगनबाडी केन्द्र नं0 4 का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत चापानेरी की आबादी भूमि में नहीं कराकर खसरा नम्बर 2765 में किया गया है जो वर्तमान में चौसाला जमाबंदी सम्वत 2066–71 मे छोगा पुत्र देवा, धन्ना, प्यारा पिता रामा कौम रेगर हुक्मा पुत्र रूपा जाट, मदन, हीरा, छोटूलाल पिता भागीरथ धोबी की खातेदारी में दर्ज है। इस आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण कार्य पर अकाल राहत सम्वत् 2062 मद से रूपये 1,62,927/– तथा शौचालय एवं मूत्रालय के निर्माण पर राज्य वित्त आयोग तृतीय से रूपये 17,993/– योग राशि रूपये 1,79,920/– अक्षरे एक लाख

उन्यासी हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र का व्यय किया जाकर व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस प्रकार आप द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में आरोप का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर ने अपीलान्ट का प्रकरण जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 28–9–2016 में रखकर एकतरफा निर्णय लेते हुए दोषी मानकर आदेश क्रमांक एफ. ( ) जिपअ/संस्था/9330 दिनांक 29–9–16 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभास से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2016 विधिविरूद्ध पारित किया गया है।

अपचारी कर्मचारी ने अपनी अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण में तत्कालीन सरपंच श्री राकेश शर्मा के विरूद्ध भी आरोप पत्र जारी कर जांच प्रारम्भ की गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा जांच करवाई जाकर तथ्यों पर आधारित जांच रिपोर्ट एवं अभिलेखों के आधार पर संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक प–3/कोर्ट/जांच/वि–044/डी–031/2015 दिनांक 8–6–2016 के द्वारा सरपंच के विरूद्ध विचाराधीन जांच को समाप्त किया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत चापानेरी के जिस खसरा नम्बर 2766 पर निर्माण कार्य करवाया गया था उसके खातेदार श्री छोगा पुत्र देवा एवं धन्ना पुत्र देवा द्वारा उक्त भूमि ग्राम पंचायत चापानेरी को जरिये दान पत्र दान कर दी गई है तथा भूमि का नामान्तरकरण जमाबंदी सम्वत 2068–71 में ग्राम पंचायत चापानेरी में कर दिया गया है। उक्त विचाराधीन प्रकरण के अन्तर्गत जिला परिषद्, अजमेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1154/20–6–2015, 1836 दिनांक 4–8–2015 एवं 15–12–2015 सहवन से प्रार्थी को प्राप्त न होने से प्रार्थी द्वारा समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सकने के कारण जिला स्थापना समिति, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा एक तरफा निर्णय लिया जाकर बैठक दिनांक

28–9–2016 के प्रस्ताव संख्या 4(6) के द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रीााव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाकर जिला परिषद् अजमेर के आदेश क्रमाक एफ ()जिपअ/संस्था/9330 दिनांक 29–11–2016 द्वारा आदेश पारित कर दिये।

उनके द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा मेरे विरूद्ध अनावश्यक रूप से एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित किया है जबकि इसी प्रकरण में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा पूर्व सरपंच श्री राकेश शर्मा, ग्राम पंचायत चापानेरी पंचायत समिति भिनाय के विरूद्ध जारी विचाराधीन प्रकरण को समाप्त कर दिया है। उक्त संबंध में मेरा यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण आंगनबाडी केन्द्र निर्माण चतुर्थ ग्राम पंचायत चापानेरी का निर्माण नियमानुसार आवंटित भूमि 1260 वर्ग मीटर पर किया गया है। उक्त भूमि की रजिस्ट्री ग्राम पंचायत के पक्ष में एवं नामान्तरकरण भी ग्राम पंचायत के पक्ष में होने के पश्चात ही आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया गया था तथा आंगनबाडी केन्द्र वर्तमान में उसी आवंटित (भूमि) भवन में सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी को कोई आपत्ति एवं विवाद नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि तत्समय अपीलार्थी को निजी खसरे की जानकारी नहीं होने से आंगनबाड़ी भवन बनवाया था जिसे बाद में ज्ञात होने पर संबंधित खातेदार ने दानपत्र लिखकर ग्राम पंचायत चापानेरी के नाम जमीन कर दी है जिसकी रजिस्ट्री होकर नामान्तरकरण भी ग्राम पंचायत के नाम खोल दिया गया है। इसलिए प्रकरण नियमित हो जाने से अपीलार्थी को आरोप मुक्त किया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर ने पत्र क्रमांक 541 दिनांक 13–2–2017 द्वारा टिप्पणी प्रेषित की जिसमें उल्लेखित किया कि अपीलार्थी श्री महावीर प्रसाद शर्मा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत चापानेरी के विरूद्ध इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 400 दिनांक 14–5–2015 से सी0सी0ए0 नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया जिसके संबंध में अपीलार्थी को स्मरण पत्र जारी करने के उपरान्त भी उन्होनें अपना अभिकथन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया। अतः उक्त प्रकरण को जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 28–9–2016 में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 4(6) में आरोपी द्वारा बार–बार पत्राचार करने पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक तरफा

कार्यवाही करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय लिया गया। जिला स्थापना समिति की बैठक में लिए उक्त निर्णय की पालना में कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ () जिपअ/संस्था/9330 दिनांक 29–11–2016 से श्री महावीर प्रसाद शर्मा, ग्राम सेवक को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

मैंने अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप से आरोपित कर जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 22–9–2016 में एकतरफा निर्णय कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त प्रकरण में श्री राकेश शर्मा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चापानेरी, पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर की जांच रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि आंगनबाडी केन्द्र नम्बा 4 के भवन का निर्माण जनहित में ही सद्भावनापूर्वक कराया गया है इससे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं पहुंचा है। इस आधार पर पूर्व सरपंच पर लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं मानते हुए आरोप मुक्त करने की अनुशंषा के आधार पर संभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश दिनांक 8–6–2016 द्वारा जाच रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए श्री राकेश शर्मा पूर्व सरंपच ग्राम पंचायत चापानेरी पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण को समाप्त किया गया है।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को भी इसी आरोप से आरोपित किया जाकर जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 28–9–2016 में एक तरफा निर्णय पारित कर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है जबकि उक्त प्रकरण में दिनांक 8–6–2016 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, अजमेर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 5209 दिनांक 3–5–2016 के द्वारा सरपंच को आरोप मुक्त करने की अनुशंष की है तो किस आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित कर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड पारित किया गया यह स्पष्ट नहीं होता है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि जिस पर आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण किया गया है उक्त भूमि को संबंधित खातेदार ने दान पत्र लिखकर ग्राम पंचायत के नाम कर दी है और जिसकी रजिस्ट्री भी ग्राम पंचायत के पक्ष में करवाकर नामान्तरकरण भी ग्राम पंचायत के नाम खोल दिया गया है तथा आंगनबाडी केन्द्र का निर्माण नियमानुसार आवंटित भूमि 1260 वर्ग मीटर पर ही किया गया है तथा आंगनबाडी केन्द्र वर्तमान में उसी आवंटित भवन में संचालित हो रहा है। साथ ही उक्त प्रकरण में किसी भी ग्रामवासियों द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत भी किया जाना प्रतीत नहीं होता है तथा न ही इससे राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई हानि ही हुई है। ऐसी स्थिति में जिला स्थापना समिति, जिला परिषद्, अजमेर की बैठक दिनांक 28–09–2016 में अपीलांट की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में अपीलांट पर आरोप पूर्ण रूप से साबित नहीं होने से अपचारी कर्मचारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 29–11–2016 को, अपचारी कर्मचारी को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत देते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत हाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा अपचारी ग्राम सेवक श्री महावीर प्रसाद शर्मा, के विरूद्ध पारित दण्डादेश क्रमांक एफ () जिपअ/संस्था/9330 दिनांक 29–11–2016 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है एवं अपचारी कर्मचारी को भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावें।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 12:28:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: